

20.06.23 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिजायक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 25.08.23 को पेश हो।

शेडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

25.08.2023 पत्रावली मेश हुई। पार्थी अधिवक्ता अनुमस्थित/अपार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपास्थित/पार्थी अधिवक्ता को श्रम में भी लहस डेटू अन्तिम अवसर उदान किया जाकर आवश्यक रूप से लहस बेश करने डेटू निर्देशित किया गया था। पार्थी अधिवक्ता को क्रमशः तीन बार लगातार आवाजे दिखवायी गयी। फिर भी पार्थी अधिवक्ता एवं पार्थी अनुमस्थित/अतः पार्थना-पत्र पार्थी एवं पार्थी अधिवक्ता को अदम बाजरी अदम मरवी में श्वारिण किया जाता है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा